CONFIDENTIAL
Not for publication

Con. No. 45
Vol. XLXI

PROCEEDINGS OF THE SEVENTY-FOURTH CONFERENCE OF PRESIDING OFFICERS OF LEGISLATIVE BODIES IN INDIA

HELD AT MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA, BHOPAL
ON
3RD & 4TH FEBRUARY, 2010

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI
APRIL, 2010

माननीय उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभाः अध्यक्ष लोक सभा परम आदरणीय मीरा कुमारजी, विधान सभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधान सभा आदरणीय रोहाणी जी उपस्थित पीठासीन अधिकारीगण तथा विधान सभाओं के सचिवालयों के अधिकारीगण,

आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रजातंत्र मर्यादाओं से चलता है और यदि मर्यादाएं टूटती हैं तो प्रजातंत्र कुंठित होती है। भारतवर्ष ने शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन के द्वारा विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्त की और हमारी संविधान सभा ने संसदीय लोकतंत्र की शासन पद्धति को अंगीकृत किया। लोकतंत्र का आधार शांतिपूर्ण व्यवस्था, व्यक्ति की स्वाधीनता की रक्षा, समानता और गरिमा का संरक्षण संवर्द्धन करना है। भारत के संविधान का स्वरूप गणतंत्रीय तथा ढांचा संघीय है और उसमें संसदीय प्रणाली के प्रमुख तत्व विद्यमान हैं, जिससे संसद और राज्य विधान मंडलों के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित किया गया है।

भारत की संसद एवं विधान मंडल लोकतंत्र के विभिन्न चुनौतियों का सामना किया है तथा संविधान के उच्च आदर्शों, सामाजिक और धार्मिक बाहुल्यवाद, सामाजिक न्याय तथा नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक प्रोद्यौगिकीय इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र की प्रगति में सहभागी बनने के अधिक अवसर प्रदान करने संबंधी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

विश्व में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। संसद एवं विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य विधायी कार्य,वित्तीय कार्य, वाद-विवाद पर चर्चा, प्रश्न, ध्यानाकर्षण एवं अन्य प्रस्ताव के माध्यम से सदन में सामयिक महत्व के मुद्दे ही नहीं उठाते हैं, बल्कि समाज के विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और सर्वानुमति से उसका हल भी ढूंढते हैं। देश एवं राज्यहित के विषय पर कई ऐसे अवसर आये हैं, जब सभी दलों के सदस्य एकजुट होकर एक ही विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं और सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किये हैं। इससे स्पष्ट है कि हमारी संसद एवं विधान मंडल जनआकांक्षाओं के प्रतीक ही नहीं, बल्कि आम लोगों के अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील भी है। इसका स्पष्ट उदाहरण है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग आदि। संसद एवं विधान मंडल संसदीय समितियों में सदस्य दलीय भावनाओं को छोड़कर देश एवं राज्य के विभिन्न ज्वलंत मुद्दे पर एकमत से विचार करते हैं और सर्वसम्मत से अपने प्रतिवेदन में अनुशंसा करते हैं।

संसद एवं विधान मंडल को जनता से रू-ब-रू कराने एवं अधिक निकट लाने की कोशिश निकट भविष्य में की गई है, जो विभिन्न भ्रामक धारणाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध हुआ है मतदाताओं को यह देखने का अवसर प्राप्त होता है कि उनके निर्वाचित प्रतिनिधि उनके समस्याओं को सदन में किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं और उनकी सदन में क्या भूमिका होती है। देश की संसद एवं विधान मंडल सदन की कार्यवाही का इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा सीधा एवं डेफर्ड प्रसारण के लिये निदानुदिन अग्रतर कार्रवाई कर रही है, जिसका यह प्रतिफल है कि संसद की कार्यवाही के साथ-साथ बिहार विधान सभा की कार्यवाही देश एवं राज्य के आम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। यह हमारी एक अहम उपलब्धि है। हम अपने राज्य बिहार में विभिन्न सम्मेलन एवं संगोष्ठी कर राज्य के हित के मुद्दे एवं विकास पर सम्यक रूप से विचार करते हैं तथा राज्य के हित में इसे कार्यान्वित भी कराने की पहल करते हैं।

चतुर्दश बिहार विधान सभा के निर्वाचन के उपरान्त लोक सभा सचिवालय के सहयोग से नवनिर्वाचित सदस्यों के लिये दो दिनों का प्रबोधन कार्यक्रम फरवरी, 2006 में कराया गया था, जिसमें संसदीय गूढ़ विषयों की जानकारी के साथ-साथ सदन के शिष्टाचार के संबंध में भी माननीय सदस्यों को बतलाया गया था। फिर भी हमारी संसद से लेकर विधान मंडलों तक गरमा-गरमी, शोर-शराबा, हंगामा और अशांति, अव्यवस्था देखने को मिलती है, जिससे हमारे मतदाता में निराशा होना स्वाभाविक है। इससे सदन का बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है। सभा की कार्यवाही में बाधा डालना सचमुच एक गंभीर समस्या है, जिसका निदान हम सब को बैठकर करने की आवश्यकता है। संसद एवं विधान मंडल की गरिमा एवं उसके अधिक समय का सार्थक उपयोग करने के लिये सदन के सदस्यों को स्वयं पर एक ओर नियंत्रण करना होगा वहीं सदन के संचालन करने वाले लोगों को सत्य, निष्ठा सार्वजनिक जीवन में आचार और नैतिकता बनाये रखना होगा। हम कई मौकों पर यह देखते हैं कि संसद एवं विधान मंडल में कोरम का अभाव हो जाता है या बहुत कम सदस्य सदन में दिखाई देते हैं। मतदाता भी इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा सदन की उपस्थिति को देखते हैं और उन्हें निराशा होती है कि जब उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि संसद एवं विधान मंडल की बैठकों में अधिक से अधिक समय उपस्थित ही नही रहते हैं तो वे देश एवं राज्य की समस्याओं को कैसे उठाएंगे और जन साधारण के कल्याण के लिये कैसे कार्य करेंगे। यही स्थिति संसदीय समितियों की भी है हम सबको मिल-बैठकर इस पर सोचना होगा कि इसका निदान कैसे हो, क्योंकि संसद और विधान मंडल भारत की राजनीतिक व्यवस्था के सर्वोच्च निकाय ही नहीं, बल्कि उसका प्रत्यक्ष रूप भी है, जिसके लिये संसदीय संस्थाओं को सुदृढ़ करना होगा। हम अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पर जो गर्व करते हैं, उसको कायम रखने के लिये हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शिष्टाचार एवं शिष्ट व्यवहार बनाये रखना होगा। यह ठीक है कि हमारा राष्ट्र अपनी संपूर्ण विविधताओं और भिन्नताओं में अखंड रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि हम देश हित की बहुमूल्य विरासत को बनाये रखना चाहते हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी लोकतांत्रिक पद्धति की अपेक्षा है कि समाज के सभी वर्गों के विचारों को उनके द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि को सदन में रखने का यथेष्ठ अवसर मिले। इस संदर्भ में सदन की कार्यवाही सुगम एवं सहज संचालन तथा परस्पर विरोधी विचारों को आत्मसंयमित करने हेतु सदन के तीनों घटकों अर्थात् सदस्यों, मंत्रियों और पीठासीन अधिकारियों पर है, जो अपने कर्तव्यों का सुविचारित संपादन कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। हमने संसद एवं विधान मंडल में आचार समिति का भी गठन किया है जो माननीय सदस्यों के अशोभनीय कर्तव्यों एवं गतिविधियों पर विचार करते हैं। हम सबको मिलकर इस लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ एवं जनोन्मुखी बनाना है, जिससे इसकी सार्थकता दिनानुदिन बढ़ती रहे तथा संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश विकसित होता रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभाः आदरणीय सभापति जी एवं अन्य उपस्थित पीठासीन अधिकारीगण, जब राष्ट्र बंटवारे की ओर था उस समय हमारे देश के पितामह स्वर्गीय गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए। वैसी परिस्थिति में देश के बंटवारे के कारण ही इस देश के लोगों ने बापू जैसे महान नेता की हत्या भी कर दी। हम देखते हैं कि जो देश भारत से अलग हुए चाहे वह पाकिस्तान हो, बर्मा हो या बांग्लादेश हो, उन्होंने कितनी प्रगति की है? मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा तानाशाही और सैनिक शासन इन्हीं राष्ट्रों में हुए, लेकिन प्रगति कुछ नहीं हुई। बांग्लादेश में क्या प्रगति हुई? बर्मा मैं गया था, वहां क्या प्रगति हुई? पाकिस्तान हमारा अंग ही था, वहां प्रगति के नाम पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारी ताकत टूटी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बर्मा, बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर भारत के साथ मिल जाएं, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती है। बंगाल से बिहार अलग हुआ। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ। अगर यह बंटवारा देखा जाए तो हमें नहीं लगता है कि बिहार से अलग झारखंड में कोई अधिक प्रगति हो सकती है। बिहार जिस प्रगति के पथ पर है, उसी पथ पर आज झारखंड भी है। झारखंड में कितने दिनों तक प्रजातांत्रिक ताकत रही, वहां भी राष्ट्रपति शासन का ज्यादा दौर रहा। बिहार में एक तरफ बाढ़ की स्थिति थी, तो दूसरी तरफ सूखे की स्थिति थी। बिहार ने सबसे ज्यादा कल कारखाने यदि लगाए, तो झारखंड में लगाए थे। जब झारखंड अलग हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? हम भौगोलिक स्थिति को समझ सके। हम झारखंड में फैक्टरी लगाते गए, जिस तरह से मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ में लगाई थीं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया, तो जैसे उसके प्राण निकल गए हैं। बिहार से अगर झारखंड निकल गया, तो बिहार का भी प्राण निकल गया। दूसरी तरफ हम भारत सरकार की नीति जनसंख्या के लिए जो बनी है, उसके तहत पैसा नहीं दिया जाता है। अगर जनसंख्या के आधार पर पैसा दिया जाता, तो बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ के करीब है। गुजरात की जनसंख्या से या तो हमें कम पैसे मिलते हैं, अगर देश में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा के लोग ज्यादा फायदा उठाते हैं। अगर देश में किसी दूसरे दल की सरकार है, तो ये लोग ज्यादा फायदा उठाते हैं। एक प्रकार की समतुल्यता न होने की वजह से भी देश में बंटवारे की स्थिति पैदा हुई है। देश में अगर सही संख्या में सभी राज्यों को पैसे मिलें, चूंकि पैसा का खजाना केन्द्र सरकार के पास है। हमारे पास क्या है? गुजरात के लोग कह रहे हैं, गुजरात में विकास आज से ही शुरू नहीं हुआ है। देश में अगर कोई व्यापारी था, तो वह गुजराती था। ये सारे लोग देश में पैसा कमाते थे और जिसके पास पूंजी रहती है, वही विकास करता है। यह कहना कि गुजरात के लोग अब सबसे ज्यादा आगे बढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है। जब देश आजाद हुआ, तब से यह स्थिति है। आप देखेंगे कि यह देश पांच सौ से अधिक राजाओं के बीच बंटा था। लेकिन स्वर्गीय वल्लभभाई पटेल ने इस देश की एकता को एकसूत्र में बांधने के लिए पांच सौ राजाओं से कैसे हस्ताक्षर कराए, यह सर्वविदित है। मैं कहना नहीं चाहता हूं कि किस राज्य ने विरोध किया और विरोध करने वाले राज्य के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, यह सब लोग जानते हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे महान सपूत ने इस देश को एकजुट करने का काम किया और आज हम फिर उसी रास्ते पर जा रहे हैं, जहां देश टूटता जा रहा है। आज प्रजातंत्र पर कौन हावी है? प्रजातंत्र में प्रजा नीचे हो गई है और तंत्र ऊपर हो गया। घोटाले का मेन कारण तंत्र की मनमानी है। अगर तंत्र ठीक हो जाए, तो देश में प्रजातंत्र अच्छी तरह से चलेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देश में नेशनल स्प्रिट की बहुत आवश्यकता है। मैं जापान गया था। जापान एक छोटा सा देश, जो हमारे राज्य के प्रांत के बराबर है। आप सोचिए कि वह देश क्यों आगे बढ़ा? उस देश की जनता में राष्ट्रीयता की भावना है। देश के लिए जीने-मरने की भावना है। वहां का हर नागरिक यह सोचता है कि वह जो कुछ कर रहा है, वह देश के लिए कर रहा है। हमारे देश के लोगों, जहां एक अरब से ज्यादा लोग हैं, जिस दिन लोगों में यह भावना आ जाएगी कि हम देश के वफादार हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, तो देश अपने आप तरक्की करता चला जाएगा।

हमारा देश तीन-तीन युद्धों से गुजरा है। वर्ष 1962 में युद्ध हुआ, हमारे पास कोई साधन नहीं थे। उस लड़ाई में मैं लड़ने गया था। मैं लद्दाख में था, उस समय पहनने के लिए हमें जूता भी नहीं मिल रहा था, जिससे मैं ठंड से अपने को बचा पाऊं। 1962 की लड़ाई के बाद देश ने तीन साल के अंदर सैनिक क्षेत्र में इतनी तरक्की की ली कि 1965 की लड़ाई में अयूब खां, जो कहता था कि हम लालकिले में चाय पीऐंगे, लेकिन पुंछ के इलाके में ही उसे धवस्त कर दिया गया और तीन सौ किलोमीटर हमने सियालकोट सैक्टर में आगे बढ़कर देश का गौरव बढ़ाने का काम किया। इसके बार 1971 का युद्ध हुआ। महोदय, तब मैं जयशोर सैक्टर में था। मैंने देखा कि वहां के सैनिकों का मनोबल इतना ऊंचा है कि चीन ने अगर कुछ किया, तो उसका भी सीना फोड़ कर रख देंगे। हमारी राष्ट्रीय एकता एक है। राष्ट्रीय एकता के समय सभी एकजुट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि 110 करोड़ लोग एक साथ हैं, तभी कोई देश थर्राता है। सेना आगे लड़ती है, लेकिन उसके पीछे 110 करोड़ लोगों का विश्वास बना रहता है। मैं चाहता हूं कि राज्य का बंटवारा न किया जाए और देश को एकजुट रहने दिया जाए।

उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा : संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष का पद काफी महत्वपूर्ण एवं गरिमापूर्ण होता है। अध्यक्ष अपनी ईमानदारी, निष्पक्षता एवं विवेक का बुद्धिमतापूर्ण प्रयोग कर संसदीय लोकतंत्र की महान परंपराओं को कायम रख सकता है। इस उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को संसदीय प्रथाओं तथा सभा की प्रक्रियाओं और नियमों की जानकारी होनी चाहिए ताकि अपने कुशाग्र बुद्धि से सभा की कार्यवाही का संचालन निष्पक्ष रूप से कर सके। अध्यक्ष पद के संबंध में 8 मार्च,1958 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि "अध्यक्ष सभा का प्रतिनिधित्व करता है। वह सभा की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है और चूंकि सभा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, अतः एक विशिष्ट रूप से अध्यक्ष राष्ट्र की स्वतंत्रता और आजादी का प्रतीक बन जाता है। अतः यह उचित ही है कि अध्यक्ष का पद सम्मानित पद होना चाहिए, उसकी स्थिति स्वतंत्र होनी चाहिए और उस पद पर हमेशा वही व्यक्ति आसीन होने चाहिए जिनमें असाधारण योग्यता और निष्पक्षता हो"।

अध्यक्ष का पद संसद/विधायिका की आत्मा है। अध्यक्ष के पद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता है। सदन के भीतर उसका अधिकार सर्वोच्च होता है और उनकी संपूर्ण तथा अपरिवर्तित निष्पक्षता पर आधारित होता है। सभा के सभी वर्गों के साथ न्याय करने के लिए यह आवश्यक है कि वह सभा के सदस्यों से भली-भांति परिचित हो और प्रत्येक सदस्य की विशेष रुचियों और दृष्टिकोण को भी जानता हो। जब तक सदस्य अध्यक्ष के साथ सहयोग नहीं करेंगे और उसकी प्रतिष्ठा को कायम नहीं रखेंगे और उसके द्वारा दिये गये विनिर्णय का आदर नहीं करेंगे तब तक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

अध्यक्ष सदन के भीतर और बाहर सदस्यों के विशेषाधिकारों का परिरक्षक, संरक्षक और रक्षक होता है। जहाँ तक सदन में या सदन से संबंधित विषयों का प्रश्न है वह संविधान और नियमों की अंतिम व्याख्या करता है और सरकार सहित कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गई व्याख्या के लिए उससे किसी प्रकार की बहस या विवाद नहीं कर सकता है।

अध्यक्ष के लिये चिन्ता का एक अन्य क्षेत्र सभा में अनुशासन और शालीनता बनाये रखने का है। सदस्यों द्वारा सभा की कार्यवाही को बाधित और स्थगित करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से विधान मंडल की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े हो जाते हैं, जिसका निदान अध्यक्ष सर्वानुमति कायम कर करना चाहते हैं जो उनके लिए कठिन होता है क्योंकि सभा में व्यवस्था बनाये रखना अध्यक्ष का मूल कर्तव्य है। उन्हें अनुशासनात्मक शक्तियाँ नियमों से प्राप्त होती हैं और अनुशासन संबंधी मामलों में उनके निर्णयों को सिवाय मूल प्रस्ताव के किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती ।

अध्यक्ष सदन में सदस्यों के भाषण की असंगतता या दोहरायी जाने वाली प्रवृत्ति को रोकता ही नहीं है, बल्कि कोई सदस्य अनुचित या अपमानजनक बातें किसी दूसरे सदस्य और व्यक्ति के बारे में कहता है तो उसे वापस लेने या सुधार करने के लिए भी सदस्यों को निदेश देता है।

अध्यक्ष अपने विवेक से असंसदीय शब्दों या अशिष्ट शब्दों को कार्यवाही से निकाल देता है। सदन में कोई सदस्य अव्यवस्थापूर्ण व्यवहार या सदन के वेल में आकर असंगत बातें कहता है या कार्यवाही में अवरोध पैदा करता है तो उसे सदन से बाहर जाने या बलपूर्वक निकालने का आदेश भी देता है। घोर अव्यवस्था होने पर वह सभा को स्थगित या उसका कार्य निलम्बित कर सकता है।

अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि कार्यसूची में सन्निहित विषयों का निष्पादन शांति एवं सुव्यवस्थित ढंग से हो सके, जिसके लिए सभी सदस्यों का सहयोग आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देशवासियों ने विधान मंडल को श्रद्धा और बड़े गर्व से देखा है। सदस्यों ने भी अपने विधायी कार्य को बहुत गंभीरतापूर्वक लिया है। सभा के अंदर और बाहर अपने मर्यादित और अनुकरणीय आचरण से सभा की प्रतिष्ठा को बनाये रखा है। इसका सुखद परिणाम हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनोन्मुखी एवं समाज के हर वर्ग के लिए विभिन्न अधिनियम बन सके जिसका लाभ समान रूप से नागरिकों को मिल रहा है, परन्तु यह खेद का विषय है कि आजकल सदस्य अपने कार्य को गंभीरता से नहीं लेते हैं। और छोटे-छोटे मुद्दों पर सभा का समय बर्बाद करते हैं। इससे केवल वाद-विवाद के स्तर में ही गिरावट नहीं आयी है बल्कि सदस्यों के परस्पर सम्मान में भी कमी आयी है। विधान मंडल के संचालन में पीठासीन पदाधिकारी को सदन के कार्यों के संबंध में तथा संसदीय परंपरा एवं संसदीय शिष्टाचार के संबंध में सदस्यों के बीच प्रबोधन कार्य कराकर उनके संसदीय जीवन को उत्कृष्ट बनाने का कार्य किया जाना चाहिए, जिसके लिए हम सब प्रयत्नशील हैं, परन्तु सदन में अनुशासन अध्यक्ष की निष्पक्षता, उनका सदस्यों के प्रति व्यवहार तथा नियमावली के सख्ती से पालन करने पर ही संभव हो सकता है।

अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों के कतिपय पूर्व के सम्मेलनों में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है और पीठासीन पदाधिकारियों की समिति भी काफी सोच-विचार कर अपने प्रतिवेदन में अध्यक्ष के कर्तव्यों और अधिकारों की विवेचना कर चुकी है। मैं उन सभी विवेचनाओं पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, परन्तु 1968 में श्री बी. एस. पागे महाराष्ट्र विधान परिषद के तत्कालीन सभापति की अध्यक्षता में गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति के प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। जिसमें कहा गया है कि "अध्यक्ष का प्रधान कर्तव्य सदन की कार्यवाहियों को नियंत्रित करना और सदन के समक्ष आने वाले विभिन्न मामलों पर विचार करने तथा निर्णय देने में उसे समर्थ बनाना है। इस प्रकार, उसके समक्ष प्रस्तुत की गई विभिन्न सूचनाओं अथवा मुद्दों पर विचार करते हुए अध्यक्ष को सदैव यह ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ भी संदेह हो, उसे सदन को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के पक्ष में कार्य करना चाहिए। अध्यक्ष को सदन से हट कर कार्य करना अथवा इसके प्राधिकार की अवहेलना करना अथवा इसके निर्णयों को अकृत करना अपना कर्तव्य नहीं समझना चाहिए अथवा अपनी शक्तियों की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष सभा का एक अंग होता है जो सभा के बेहतर कार्यकरण के लिए सभा से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है। अंततः वह सभा का सेवक होता है न कि उसका स्वामी"। मैं आप सभी का अभिवादन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।